

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड, जयपुर

क्रमांक:—एफ(3)FCA/प्रत्यावर्तन/उवसंज/2021—22/

दिनांक:—

निमित्त :- अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
परियोजना खण्ड द्वितीय, (उत्तर)
जयपुर।

विषय:—Diversion of 0.9406 ha. of forest land in foavour of SUPERINTENDING ENGINEER PHED PROJECT CIRCLE JAIPUR CITY JAIPUR for Laying of Pipe Line Water Supply Project. At Village Amer. Project Division-II (North) PHED. Jaipur (Rajasthan) (प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/42602/2019)

संदर्भ:— इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 3922 दिनांक 06.06.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(40)वन/2021 दिनांक 08.10.2021 के क्रम में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव Diversion of 0.9406 ha. of forest land in foavour of SUPERINTENDING ENGINEER PHED PROJECT CIRCLE JAIPUR CITY JAIPUR for Laying of Pipe Line Water Supply Project. At Village Amer. Project Division-II (North) PHED. Jaipur (Rajasthan) (प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/42602/2019) की सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र, समाचार पत्र में प्रकाशित सैद्धान्तिक स्वीकृति की मूल प्रति एवं समस्त दस्तावेजों की पांच प्रतियां प्रमाणित कर तथा अवशेष राशि जमा करवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको लिखा गया था। जिसके सम्बन्ध में आपका पत्र इस कार्यालय में आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा उक्त प्रस्ताव में निम्नानुसार कमी पाई गई है :-

शर्त/बिन्दु संख्या	कमियां
बिन्दु संख्या 10:— प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 10 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुणा संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई चालान द्वारा जमा की जायेगी।	इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 7467 दिनांक 18.10.2021 द्वारा उक्त शर्त के क्रम में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण कार्य हेतु दैनिक मजदूरी 252/- रुपये के अनुसार 100800/- रु० की राशि की मांग की गई थी परन्तु दैनिक मजदूरी 252/- से बढ़कर 259/- रु० होने के कारण 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु 103600/- रु० की मांग इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 3922 दिनांक 06.06.2023 द्वारा की गई थी। वर्तमान में दैनिक मजदूरी दर 285/- रुपये होने के कारण 114000/- रुपये की आवश्यकता होगी। अतः शेष 13200/- रु० की राशि नियमानुसार जमा कराई जावे।

एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र, समाचार पत्र में प्रकाशित सैद्धान्तिक स्वीकृति की मूल प्रति प्रमाणित कर एवं समस्त दस्तावेजों की पांच प्रतियां प्रमाणित कर भिजवाने एवं अवशेष राशि जमा करवाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

(वी.केतन कुमार)

उप वन संरक्षक,

जयपुर

दिनांक:—

क्रमांक:—एफ(3)FCA/प्रत्यावर्तन/उवसंज/2021—22/

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक जयपुर।

2. क्षेत्रीय वन अधिकारी आमेर को दी जाकर लेख है की आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सुरत में नहीं होने देवे।

उप वन संरक्षक,

जयपुर

RajKaj Ref
7511373

